प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 28/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दिनांक 06 जून 2024 को जारी 'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन' पर परामर्श पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण ।

नई दिल्ली, 14 जून 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने **06 जून 2024** को **'राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। उपरोक्त परामर्श पत्र पर हितधारकों से 04 जुलाई 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 18 जुलाई 2024 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। उसी दिन एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

2. इस संबंध में, हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ मीडिया जगत (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया) में खबर है कि भादूविप्रा ने इन 'सीमित संसाधनों' के कुशल आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल और लैंडलाइन नंबरों के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह अटकलें लगाई जा रही है कि भादूविप्रा एक से अधिक सिम रखने/ नंबरिंग संसाधनों के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाने का इरादा है जो स्पष्टतः असत्य है। ऐसे दावे निराधार हैं और केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी), दूरसंचार अभिज्ञापक (टीआई) संसाधनों का एकमात्र अभिरक्षक होने के नाते, दिनांक 29 सितंबर 2022 के अपने संदर्भ पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से संपर्क किया था, जिसमें देश में नंबरिंग संसाधनों के कुशल प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संशोधित राष्ट्रीय नंबरिंग योजना पर भादूविप्रा की अनुशंसा मांगी गई थीं। तदनुसार, राष्ट्रीय नंबरिंग योजना (एनएनपी) के संशोधन पर भादूविप्रा का यह परामर्श पत्र (सीपी) दूरसंचार अभिज्ञापक (टीआई) संसाधनों के आवंटन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। इसका उद्देश्य उन संशोधनों का प्रस्ताव करना भी है जो आवंटन नीतियों और उपयोग प्रक्रियाओं को परिष्कृत करेंगे, जिससे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए दूरसंचार अभिज्ञापक (टीआई) संसाधनों का पर्याप्त संग्रह सुनिश्चित होगा।

4. भादूविप्रा की परामर्श प्रक्रिया पारदर्शिता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें परामर्श पत्रों का प्रकाशन, हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करना, परामर्श से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों का अध्ययन/ विश्लेषण और खुले सदन में चर्चा की सुविधा प्रदान करना शामिल है - ये सभी कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग

को दी गई अंतिम अनुशंसा सम्यक तत्पड़ता और सुविचारित विश्लेषण का परिणाम हैं तथा अधिकांशतः पूर्वोक्त गतिविधियों से प्राप्त तार्किक निष्कर्षों के अनुरूप हैं।

5. भादूविप्रा निरंतर बाजार ताकतों के संयम और स्व-नियमन को बढ़ावा देने वाले न्यूनतम विनियामक हस्तक्षेप की वकालत करता रहा है। हम किसी भी झूठे अनुमान का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं तथा इसकी कड़ी निंदा करते हैं, जो परामर्श पत्र के संबंध में ऐसी भ्रामक जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देता है।

6. हम सभी हितधारकों और आम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे सटीक जानकारी हेतु भादूविप्रा द्वारा अपनी वेबसाइट (https://trai.gov.in/notifications/press-release/trai-issues-consultation-paper-revision-national-numbering-plan) के माध्यम से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और परामर्श पत्र देखें। प्राधिकरण स्पष्टता और तथ्यात्मक अखंडता के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

7. किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, भादूविप्रा के सलाहकार (बीबी एवं पीए) श्री अब्दुल कयूम से advbbpa@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

14/6/2024

(महेंद्र श्रीवास्तव)
सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा